

Printed from

**नवभारत टाइम्स**

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

## 15 मार्च तक करानी होगी रजिस्ट्री

29 Dec 2010, 0400 hrs IST

एनबीटी न्यूज ॥ ग्रेटर नोएडा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्धनगर में स्थित सोसायटियों में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को 15 मार्च से पहले अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करानी होगी। मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में स्टॉप व पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने सोसायटी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर यह निर्देश दिए। रजिस्ट्री कराने में लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए सोसायटी में ही विभाग की ओर से कैंप लगाया जाएगा। रजिस्ट्री से 70 से 80 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में करीब 35 सोसायटीज ऐसी हैं, जिन्हें नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट अलॉट किए थे। इस समय प्लॉट की रजिस्ट्री सोसायटी के ही नाम है। स्टॉप डिपार्टमेंट ने जब फ्लैट के अलॉटी को रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस भेजा तो इसके खिलाफ सोसायटी के पदाधिकारी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने 2004 में सोसायटी के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को सही माना और छ: महीने में सभी अलॉटियों को रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए। इसी सिलसिले में मंगलवार को डीएम दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में स्टॉप विभाग के अधिकारियों ने सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें रजिस्ट्री कराने का फायदा समझाया और जल्द रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने बताया कि छह महीने की मियाद 15 मार्च 2011 को खत्म हो रही है। रजिस्ट्री न कराने पर अलॉटी को ही परेशानी होगी। बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैट बेचना या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम करना अलॉटी के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 35 ऐसी सोसायटीज हैं, जिनके अलॉटी ने रजिस्ट्री नहीं कराई है। अलॉटी को रजिस्ट्री कराने में कोई परेशानी न हो इसके लिए विभाग को संबंधित सोसायटी से ही कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्री से विभाग को 70 से 80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

[इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।](#)

[इस आर्टिकल को ट्वीट करें।](#)

[देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।](#)

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2010 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768